प्रेस नोट

दिनांक 01.09.2024, थाना उमरीबेगमगंज

जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 249/24 धारा- 137(2)/87/75 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद विनय उपाध्याय पुत्र प्रेमकिशोर उपाध्याय निवासी मंगुराबाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को चांदपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को एक व्यक्ति द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.08.2024 को उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल से पढ़कर घर आई थी व कुछ सामान लेने हेतु मुंगरा बाजार गई थी, घर वापस आते समय रास्ते में विपक्षीगण ने स्कूटी में धक्का मारकर गिरा दिया तथा सभी लोगों के साथ रत्नेश उपाध्याय उसकी पुत्री को अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर रेस्टोरेंट ले गए जहां पर उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त विनय उपाध्याय पुत्र प्रेमकिशोर उपाध्याय निवासी मंगुराबाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.09.2024 को चाँदपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनय उपाध्याय पुत्र प्रेमकिशोर उपाध्याय निवासी मंगुराबाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-249/24, धारा 191(2), 115(2), 351(2), 137(2), 87, 75 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव
02. का0 रोहित मौर्या

03. का0 अश्वनी कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 01.09.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

को0नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड पीड़ित के रु 20,700/- कराए गये वापस, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवाद:-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि- 20,700/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आवेदक (साइबर फ्रॉड पीड़ित) अविनाश चंद्र मिश्रा निवासी आनन्दपुरी कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्ड़ा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दिया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ्राड़ काल पर विश्वास में लेकर यू0पी0आई0 के माध्यम से रूपये फ्रॉड कर ट्रांसफर करा लिया गया है । जिस पर थाना कोतवाली नगर पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों द्वारा साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदिक के 20,700/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोटः- साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर हेल्प डेस्क के प्रभारी उ0नि0 उदित कुमार वर्मा, का0 पंकज कुमार, म0का0 शिवानी तिवारी शामिल रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।